



भारतीय रज़िर्व बैंक

Last Updated: July 2022

स्थापना

- भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की स्थापना भारतीय रज़िर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी।
- शुरुआत में रज़िर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ RBI का गवर्नर बैठता है और जहाँ नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं।
- यद्यपि प्रारंभ में यह नज़ी स्वमत्त्व वाला था, वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामत्त्व है।

प्रस्तावना

भारतीय रज़िर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किये गए हैं:

- “भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को वनियमित करना तथा प्रारक्षण नधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना।
- अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिये आधुनिक मौद्रिक नीति फ़रेमवर्क रखना।
- वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

केंद्रीय बोर्ड

रज़िर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय नदिशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार के भारतीय रज़िर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिये होती है।

- गठन
 - सरकारी नदिशक
 - शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान गवर्नर हैं।
 - पूर्णकालिक : गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर
- गैर:सरकारी नदिशक
 - सरकार द्वारा नामित : वभिन्न कषेत्रों से दस नदिशक और दो सरकारी अधिकारी
 - अन्य : चार नदिशक - चार स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक से एक

प्रमुख कार्य

1. मौद्रिक प्रधिकारी (Monetary Authority)

- मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और नगिरानी करता है।
- उद्देश्य: विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

रज़िर्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (Board for Financial Supervision-BFS) के दशा-नरिदेशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रज़िर्व बैंक के केंद्रीय नदिशक बोर्ड की एक समितिके रूप में नवंबर 1994 में की गई थी।

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

- केंद्र सरकार द्वारा धारा 45ZB के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिये आवश्यक नीतित्म ब्याज दर निर्धारित करती है। पहले यह काम रज़िर्व बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता था।
- रज़िर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग मौद्रिक नीति निर्माण में इस समिति की सहायता करता है तथा अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों के विचारों और रज़िर्व बैंक के विश्लेषणात्मक कार्य से नीतित्म रेपो दर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करता है।

2. वित्तीय प्रणाली का वनियामक और पर्यवेक्षक (Regulator and Supervisor of the Financial System)

- बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिये वसित्त मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
- उद्देश्य: प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को कफियाती बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना।

3. वदिशी मुद्रा प्रबंधक (Manager of Foreign Exchange)

- वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम, 1999 का प्रबंध करता है।
- उद्देश्य: वदिश व्यापार और भुगतान को सुवधिजनक बनाना एवं भारत में वदिशी मुद्रा बाज़ार का क्रमिक विकास करना तथा उसे बनाए रखना।

4. मुद्रा जारीकर्त्ता (Issuer of Currency)

- यह करेंसी जारी करता है और उसका वनियम करता है अथवा पर्यवेक्षण के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सक्किों को नष्ट करता है।
- उद्देश्य: आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सक्किों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना।

वकिसात्मक भूमिका

- राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिये व्यापक स्तर पर प्रोत्साहक कार्य करना।

संबंधित कार्य

- सरकार का बैंकर: केंद्र और राज्य सरकारों के लिये यह व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है; उनके बैंकर का कार्य भी करता है।
- बैंकों के लिये बैंकर: सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है।

RBI द्वारा प्रशासित अधनियम:

- भारतीय रज़िर्व बैंक अधनियम, 1934
- सार्वजनिक ऋण अधनियम, 1944/सरकारी प्रतभूता अधनियम, 2006
- सरकारी प्रतभूता वनियम, 2007
- बैंकिंग वनियमन अधनियम, 1949
- वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम, 1999
- वित्तीय आसूतियों का प्रतभूतकरण और पुनर्निर्माण और प्रतभूता हति का प्रवर्तन अधनियम, 2002 (अध्याय II)
- क्रेडिट सूचना कंपनी (वनियमन) अधनियम, 2005
- भुगतान और नपिटान प्रणाली अधनियम, 2007
 - भुगतान और नपिटान प्रणाली अधनियम, 2007 2019 तक संशोधित के रूप में
 - भुगतान और नपिटान प्रणाली वनियम, 2008 जैसा कि 2022 तक संशोधित किया गया है।
- फेक्टरिंग वनियमन अधनियम, 2011

RBI द्वारा की गई पहलें:

- हाल ही में **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** के गवर्नर द्वारा बंगलूरु में रज़िर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) का उद्घाटन किया गया।
 - **इसे कंपनी अधनियम, 2013** की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।
 - यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** ने तत्काल प्रभाव से रुपए (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिये एक तंत्र भी स्थापित किया है।
 - RBI द्वारा प्रस्तावित संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार, **वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम (FEMA), 1999** के तहत कवर किये गए क्रॉस-बॉर्डर नरियात और आयात को भारतीय रुपए में डनिॉमिनेट और इनवॉइस किया जा सकता है। हालांकि RBI ने निर्धारित किया है कि दोनों व्यापार भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच वनियम दर बाज़ार के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट

- वार्षिक रिपोर्ट रज़िर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्ट (Statutory Report) है और इसे हर वर्ष अगस्त में जारी किया जाता है।
- यह रज़िर्व बैंक के केंद्रीय नदिशक मंडल की भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है और इसमें शामिल होते हैं;
 - भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन और संभावनाएँ;
 - अर्थव्यवस्था की स्थितिकी समीक्षा;
 - वर्ष के दौरान रज़िर्व बैंक का कार्य;
 - आगामी वर्ष के लिये रज़िर्व बैंक का वज़िन और एजेंडा; तथा
 - रज़िर्व बैंक के वार्षिक खाते (जुलाई-जून)

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट

- यह भी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सांविधिक प्रकाशन (Statutory Publication) है।
- वार्षिक रूप से प्रस्तुत यह दस्तावेज़ पछिले वर्ष के लिये वित्तीय क्षेत्र की नीतियों और कार्य नषिपादन की समीक्षा है।
- अप्रैल से मार्च तक की अवधि को कवर करने वाले इस प्रकाशन को सामान्यतः नवंबर/दिसंबर में जारी किया जाता है। दिसंबर 2014 से यह प्रकाशन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

रज़िर्व बैंक की स्वायत्तता

- **RBI अधिनियम की धारा 7(1)** के तहत केंद्र सरकार रज़िर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श कर बैंक को ऐसे दशा-नरिदेश दे सकती है, जो जनता के हित में आवश्यक हों।
- **सेक्शन 7(2)** के तहत इस तरह के किसी भी दशा-नरिदेश के बाद बैंक का काम एक केंद्रीय नदिशक मंडल को सौंप दिया जाएगा। यह नदिशक मंडल बैंक की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और रज़िर्व बैंक द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है।
- **सेक्शन 7(3)** के तहत रज़िर्व बैंक के गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित डपिटी गवर्नर की गैर-मौजूदगी में भी केंद्रीय नदिशक मंडल के पास बैंक के सामान्य मामलों एवं कामकाज के सामान्य अधीक्षण (General Superintendence) एवं नरिदेशन की शक्तियाँ होंगी और वह उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा, जिसका अधिकार बैंक के पास है। हालाँकि RBI की स्वायत्तता को अनविार्य करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
- तथापि RBI को हमेशा एक स्वायत्त निकाय के रूप में देखा जाता है, जो सभी वाणज्यिक बैंकों- चाहे वह पीएसबी हो या नजि बैंक या वदिशी बैंक, हेतु एक समग्र निकाय है।
- इसमें न केवल मौद्रिक नीति तैयार करने की शक्तियाँ ही नहिति हैं, बल्कि सभी बैंकों के कामकाज की नगिरानी संबंधी शक्तियाँ भी नहिति हैं।
- पछिले कुछ समय से रज़िर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के मसले को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसके मुख्य कारण हैं: गैर-नषिपादति आस्तियों की जाँच के संबंध में RBI की वफिलता, सख्त मौद्रिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी की समस्या, RBI द्वारा बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु किये गए सुधारात्मक उपाय, जिन्हें सरकार द्वारा बहुत सकारात्मक नहीं माना गया, आदि।